एन.एच.पी.सी. लिमिटेड
दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश
पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट

मार्च, 2026 को समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट)
2	परियोजना की किस्म	जल-विद्युत् परियोजना
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	 क) पत्र सं. जे-12011/25/2009-आईए-I, दिनांक 19.05.2015 ख) 1.पत्र सं. 8-85/2011-एफ़सी, दिनांक 15.04.2015 (एफ़सी स्टेज-I) 2.पत्र सं. 8-85/2011-एफ़सी, दिनांक 12.03.2020 (एफ़सी स्टेज-II)
4	स्थान क) जिला (जिले) ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	 क) लोअर दिबांग घाटी & दिबांग घाटी ख) अरुणाचल प्रदेश ग) 28° 11′ 50″ उ° to 29° 25′ 59″ उ° घ) 95° 14′ 47″ पू° to 95° 36′ 49″ पू°
5	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	 कार्यपालक निदेशक, दिबांग बहु-उद्देशीय परियोजना, एनएचपीसी लिमिटेड, मायू सेक्टर, पोस्ट – रोइंग जिला – लोअर दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, पिन कोड 792 110 टेलीफोन नं: 03803-222002 कार्यपालक निदेशक पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा) पिन कोड-121 003 फोन: 0129-2250111
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	संलग्नक -I के रूप में संलग्न ।
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र) ख) अन्य	कुल भूमि : 5606.70 हैक्टेयर क) वन भूमि (यूएसएफ़/कम्यूनिटी भूमि) : 3494 हैक्टेयर गैर-वन भूमि (सरकारी/निजी/डबल्यूआरसी) : शून्य ख) वन भूमि : 1083.84 हैक्टेयर गैर-वन भूमि (सरकारी/निजी/डबल्यूआरसी) : 1028.86 हैक्टेयर
8	जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं,	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या : 115*

<table>
<tr>
<td></td>
<td>केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण

क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी

ख) अन्य</td>
<td>प्रभावित आबादी की कुल संख्या : 328*

आंशिक रूप से प्रभावित परिवार: 744*
आंशिक रूप से प्रभावित आबादी: 1549*
(अ) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी: 744 (परियोजना से प्रभावित सभी परिवार अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।)
(आ) अन्य : शून्य
*ईआईए एवं ईएमपी अध्ययन और पर्यावरण मंजूरी के दौरान किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार (अंतिम संख्या भिन्न हो सकती है)</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>वित्तीय ब्यौरा
क) परियोजना की लागत, जैसा कि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष

ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च

ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए आवंटन

घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च</td>
<td>क) सीसीइए स्वीकृत लागत: 31876.39 करोड़ रुपये (जुलाई, 2016 मूल्य स्तर पर)

ख) 4684.09 करोड़ रुपये (दिनांक 31.03.2026 तक)

ग) 523.26 करोड़ रुपये (सीसीईए दिनांक 27.02.2023 के अनुसार

घ) 264.93 करोड़ रुपये (दिनांक 31.03.2026 तक)

(कुल आवंटन, पर्यावरण प्रबंधन योजना तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्नक-I के रूप में संलग्न है।)</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>वन भूमि की आवश्यकताएं

क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति

ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति</td>
<td><table>
<tr><th colspan="3">गैर-वन उपयोग के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदन की स्थिति:</th></tr>
<tr><th>वन भूमि का अपवर्तन (है.)</th><th>गैर-वन्य उपयोग</th><th>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति दी गई। (पत्र संख्या एवं दिनांक)</th></tr>
<tr><td colspan="3">दिबांग घाटी जिला, अरुणाचल प्रदेश</td></tr>
<tr><td>2454.86</td><td>जलमग्न क्षेत्र</td><td rowspan="2">पत्र सं. 8-85/2011-एफ़सी, दिनांक 12.03.2020</td></tr>
<tr><td>53.00</td><td>सड़क</td></tr>
<tr><td colspan="3">लोअर दिबांग घाटी जिला, अरुणाचल प्रदेश</td></tr>
<tr><td>1039.14</td><td>जलमग्न क्षेत्र</td><td rowspan="2">पत्र सं. 8-85/2011-एफ़सी, दिनांक 12.03.2020</td></tr>
<tr><td>1030.84</td><td>परियोजना घटक के लिए</td></tr>
<tr><td>4577.84</td><td colspan="2">← कुल भूमि</td></tr>
</table>

ख) वन भूमि के सीमांकन और पेड़ों की गणना की प्रक्रिया जारी है। हालांकि, राज्य वन विभाग द्वारा वर्ष 2015 में की गई गणना के अनुसार, काटे जाने वाले पेड़ों की कुल संख्या 60,189 है। एपीसीसीएफ (सं.) और नोडल अधिकारी (एफसीए) ने दिनांक 27.09.2024 के पत्र के माध्यम से परियोजना-प्रभावित</td>
</tr>
</table>

		वृक्षों के चरणबद्ध तरीके से निष्कर्षण के लिए सरकार की स्वीकृति को संप्रेषित किया। यह ₹14.48 करोड़ की राशि है, जिसमें ₹83,700/- की लकड़ी रॉयल्टी शामिल है, जिसे **डीएफओ, दिबांग वन विभाग** को संबोधित किया गया है। इसके बाद, **डीएफओ, दिबांग वन विभाग** ने दिनांक 01.10.2024 के पत्र के माध्यम से ₹7.55 करोड़ की प्रथम किश्त जारी करने की मांग की। यह अनुरोध वर्तमान में प्रक्रिया में है।₹755.74 लाख की पहली किश्त दिनांक 24.12.2024 को डीएफओ, दिबांग वन प्रभाग को जमा कर दी गई थी और इसके पश्चात ₹83,700/- की रॉयल्टी राशि डीडी संख्या 738225 दिनांक 08.01.2025 के माध्यम से पीसीसीएफ, अरुणाचल प्रदेश को जमा की गई। दिबांग फॉरेस्ट डिवीज़न, रोइंग ने मेमो नंबर DF/DMP/T-10/2025/7156-58 (तारीख 10.10.2025) के ज़रिए बताया कि पहले चरण का काम पूरा हो गया है और प्रोजेक्ट से प्रभावित पेड़ों को हटाने के काम के लिए 3,61,46,379 रुपये की दूसरी किश्त जमा करने का अनुरोध किया गया। ₹3,61,46,379/- की दूसरी किस्त दिनांक 14.11.2025 को DFO, दिबांग फॉरेस्ट डिवीज़न के पास जमा कर दी गई है। प्रोजेक्ट से प्रभावित पेड़ों को हटाने के दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है।
11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और/अथवा आयोजना की गई) ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और/अथवा आयोजना की गई)	क) वास्तविक: 27.02.2023 (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सीसीईए – निवेश) ख) आयोजना : 26.02.2032
12	विलम्ब के कारण (यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है)	लागू नहीं।
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) मानीटरिंग समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	क) परियोजना की बहु) विषयक निगरानी समिति-MDC) के गठन के संबंध में सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति को गोएएपी द्वारा दिनांक 16.05.2024 और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)MoEF&CC), भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या J-12011/25/2009-IA-I दिनांक 08.10.2024 के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त हुआ। इसके पश्चात्, दिनांक 19 मई 2015 की पर्यावरण स्वीकृति की शर्त संख्या 18 के अनुसार और उपर्युक्त अनुमोदन के आधार पर, परियोजना प्रस्तावक ने पत्र संख्या NH/DMP/HOP/2024/966 दिनांक 13.11.2024 द्वारा MDC का गठन किया है ताकि DMP के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके। ख) i. परियोजना स्थल का निरीक्षण संयुक्त निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी द्वारा दिनांक 09.02.2022 से 10.02.2022 तक किया गया। ii. परियोजना स्थल का निरीक्षण श्री एन. टम (आईएफएस), प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव और जैव विविधता) एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, ईटानगर द्वारा, मुख्य वन

		संरक्षक (पूर्वी क्षेत्र), तेजू और राज्य वन अधिकारियों के साथ मिलकर दिनांक 12.09.2024 को किया गया। iii. परियोजना स्थल का निरीक्षण अतिरिक्त निदेशक, MoEF&CC के क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी द्वारा दिनांक 20.03.2025 से 21.03.2025 तक किया गया।
14	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना को प्रदान किए गए पर्यावरण मंजूरी पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

अनुलग्नक - I

दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (2880 मेगावाट)
मार्च 2026 तक पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं और अन्य अतिरिक्त योजनाओं के संबंध में किए गए आवंटन और व्यय का विवरण

क्रम संख्या	पर्यावरण प्रबंधन योजना का नाम	आबंटित राशि (₹ लाख में)	किया गया कुल व्यय (लाख रुपए में)
1	जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन योजना	1,785.10	1,359.80
2	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	2,395.71	2,395.71
3	मत्स्य प्रबंधन योजना	648.24	-
4	ग्रीनबेल्ट विकास योजना	200.00	-
5	भू-पर्यावरण प्रबंधन योजना (भूस्खलन नियंत्रण योजना)	2,312.63	-
6	मलबा निपटान योजना	648.40	-
7	खदान क्षेत्रों के लिए पुनरुद्धार योजना	189.62	-
8	सड़क निर्माण में निर्माण क्षेत्रों का भूनिर्माण और पुनरुद्धार तथा पर्यावरण प्रबंधन	877.76	-
9	सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली	1021.34	-
10	श्रमिक शिविरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना एवं स्वच्छता सुविधाओं की योजना	554.78	-
11	ऊर्जा संरक्षण उपाय	170.00	-
12	जन सुनवाई के दौरान उठाई गई मुद्दे	17,100.00	
13	सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण की योजना	327.03	
14	जल, वायु और ध्वनि की गुणवत्ता का रखरखाव	35.00	
15	आपदा प्रबंधन योजना	590.00	
16	पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम (निर्माण चरण के दौरान)	406.37	64.00
	उप-योग (अ)	**29,261.98**	**3,819.51**
17	प्रतिपूरक वनीकरण	21,343.65	21,343.65
18	परियोजना प्रभावित वृक्षों की कटाई और गिराई (निकर्षण)	1709.81*	1319.28*
	उप-योग (ब)	**23053.46**	**22,662.93**
19	जून 2016 तक किया गया व्यय	10.84	10.84
	उप-योग (स)	**10.84**	**10.84**
	कुल (अ+ब+स)	**52,326.28**	**26,493.28**

<u>अनुलग्रक - II</u>

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति

<table>
<tr><th>शर्त सं.</th><th>शर्तें</th><th>अनुपालन की स्थिति</th></tr>
<tr><td colspan="3">भाग-(अ): विशिष्ट शर्तें</td></tr>
<tr><td>i</td><td>ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट में प्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र उपचार (कैट) योजना राज्य वन विभाग के परामर्श से शुरू की जाएगी और जलाशय को भरने से पहले प्रमुख कार्य पूरे किए जाएंगे। सीएटी योजना का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:
<table>
<tr><th>उपचार के उपाय</th><th>1 वर्ष</th><th>2 साल</th><th>3 साल</th><th>4 वर्ष</th><th>5 वर्ष</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td colspan="7">जैविक उपाय</td></tr>
<tr><td>वृक्षारोपण (हेक्टेयर)</td><td>121</td><td>151</td><td>236</td><td>168</td><td>94</td><td>770</td></tr>
<tr><td colspan="7">इंजीनियरिंग उपाय</td></tr>
<tr><td>ब्रशवुड चेक डैम (संख्या)</td><td>250</td><td>350</td><td>380</td><td>200</td><td>96</td><td>1276</td></tr>
<tr><td>कंटूर बंडिंग (सं.)</td><td>8</td><td>20</td><td>30</td><td>14</td><td>10</td><td>82</td></tr>
<tr><td>गैबियन संरचनाएं (संख्या)</td><td>40</td><td>67</td><td>62</td><td>50</td><td>40</td><td>259</td></tr>
<tr><td>लूज बोल्डर चेक डैम (संख्या)</td><td>126</td><td>174</td><td>190</td><td>166</td><td>112</td><td>768</td></tr>
<tr><td>गाद धारण बांध (संख्या)</td><td>16</td><td>46</td><td>34</td><td>20</td><td>8</td><td>124</td></tr>
</table></td><td>परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र उपचार (कैट) योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य कैम्पा के पास कुल आवंटित राशि ₹ 2395.71 लाख जमा कर दी गई है।

परियोजना के पत्र संख्या एनएच/डीएमपी/एचओपी/2024/1006 दिनांक 05.02.2024 द्वारा पीसीसीएफ और प्रमुख सचिव (ईएंडएफ) से अनुरोध किया गया है कि वे दिबांग और अनिनि वन विभागों के संबंधित डीएफओ को अनुमोदित सीएटी योजना के कार्यान्वयन की पहल करने का निर्देश दें।</td></tr>
<tr><td>ii</td><td>परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की भूमि जोत का विवरण, जिनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है, क्षेत्रीय कार्यालय सहित इस मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा। भूमि खोने वाले परिवारों के लिए आरएंडआर लाभ आरएफ़सीटीएलएआर&आर अधिनियम, 2013 के अनुसार होगा। राज्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति,</td><td>परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना आरएफसीटीएलएआर&आर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के आधार पर तैयार की गई है और इसे राज्य सरकार द्वारा 04.12.2019 को अनुमोदित किया गया है।

दिबांग घाटी और दिबांग घाटी जिलों के दोनों</td></tr>
</table>

	2008 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान दिए जाएंगे।	उपायुक्तों ने आवश्यक सरकारी निर्देशों के लिए क्रमशः दिनांक 18.09.2023 और 05.12.2023 को अरुणाचल प्रदेश सरकार को आर एंड आर पात्रता मैट्रिक्स का मसौदा प्रस्तुत किया है।
iii.	पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के लिए एक निगरानी समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग सहित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के प्रतिनिधि और एक महिला लाभार्थी शामिल होंगे।	राज्य सरकार के परामर्श से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के लिए एक निगरानी समिति गठित की जाएगी, जो पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के प्रशासक होने के नाते संबंधित उपायुक्तों द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना के कार्यान्वयन के साथ-साथ कार्य करेगी।
iv	सार्वजनिक जनसुनवाई के दौरान की गई सभी प्रतिबद्धताओं को डेवलपर द्वारा पूर्णतः पूरा किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
v	मलबे की डंपिंग तथा समेकन/संकलन केवल निर्दिष्ट मलबे डंपिंग स्थलों पर ही किया जाएगा, जैसा कि ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। ईआईए/ईएमपी में प्रस्तावित मलबे निपटान योजना के अनुसार उत्पन्न होने वाले 233 लाख क्यूबिक मीटर मलबे में से (25-60% सूजन कारक के साथ) 35 लाख क्यूबिक मीटर का उपयोग निर्माण उद्देश्य के लिए किया जाएगा और शेष 198 लाख क्यूबिक मीटर को 112.62 हेक्टेयर के आवंटित क्षेत्र में 3 निर्दिष्ट निपटान स्थलों पर डंप किया जाएगा। डंपिंग स्थल नदी के एचएफएल से 30 मीटर से अधिक दूर होंगे और मलबे के निपटान स्थलों के लिए टो वॉल का निर्माण नदी के एचएफएल से कम से कम 30 मीटर दूर किया जाएगा ।	अनुपालन किया जाएगा।
vi	20 क्यूमेक्स का न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा, 12 टर्बाइनों में से कम से कम एक टर्बाइन को पूरे वर्ष में 24 घंटे पूर्ण/आंशिक लोड पर संचालित किया जाएगा, जो टीआरटी आउटलेट के डाउनस्ट्रीम में पर्याप्त डिस्चार्ज प्रदान करेगा, जिसमें डाउनस्ट्रीम में जलीय जीवन के पोषण के लिए पानी की पर्याप्त गहराई और वेग होगा। प्रवाह माप के लिए निरंतर निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी और नागरिक समाज और शेयर धारकों के लिए उचित स्थान पर डेटा प्रदर्शित किया जाएगा। मंत्रालय और एसपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय को छमाही परिणाम प्रस्तुत किए जाएंगे।	अनुपालन किया जाएगा।
vii	लोअर दिबांग घाटी जिले के दिबांग वन विभाग, दिबांग घाटी जिले के अनिनी वन विभाग और लोहित जिले के नामसाई वन विभाग में 9155.68 हेक्टेयर भूमि पर	परियोजना के प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम के लिए राज्य कैम्पा में ₹ 21,343.65 लाख जमा करा दिए गए हैं।

<table>
<tr><td></td><td>प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस उद्देश्य के लिए ₹ 15585.21 का बजट आवंटित किया गया है जिसका पूर्ण उपयोग किया जाएगा और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट नहीं किया जाएगा।</td><td>4577.84 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्ट के उद्देश्य से 9157.49 हेक्टेयर प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो इसप्रकार है:

क्र. सं. | जगह | क्षेत्र (हेक्टेयर)
1. | दीपा आरएफ | 1192.3269
2. | लिकाबाली आरएफ | 466.767
3. | जयधोल पीआरएफ | 2500.767
4. | दिबांग आरएफ | 868.862
5. | देवपानी आरएफ | 555 .949
6. | भीष्मकनगर वीआरएफ | 173.12
7. | केरीम आरएफ | 113.699
8. | तेंगापानी आरएफ | 1000.00
9. | अमरतला आरएफ | 2286.00
कुल | | **9157.49**

इस संबंध में संबंधित वन विभागों अर्थात दिबांग, नामसाई, लिकाबाली और खेलोंग/ भालुकपोंग के डीएफओ ने सूचित किया है कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिए निर्दिष्ट स्थलों पर प्रतिपूरक वनीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है।

परियोजना द्वारा पत्र संख्या एनएच/डीएमपी/एचओपी/2024/1006, दिनांक 05.02.2024 के माध्यम से पीसीसीएफ और मुख्य सचिव (ईएंडएफ) से अनुरोध किया गया है कि दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यों के व्यय उपयोग की स्थिति परियोजना को प्रस्तुत की जाए।</td></tr>
<tr><td>viii</td><td>परियोजना स्थल के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट में प्रस्तावित ग्रीनबेल्ट विकसित किया जाएगा। जलाशय और परियोजना के आस-पास प्रस्तावित ग्रीनबेल्ट का निर्माण लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में 1600 पौधों प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाएगा, जिसमें 27 विभिन्न पौधों की प्रजातियों का उपयोग किया जाएगा। इसे राज्य वन विभाग के परामर्श से किया जाना चाहिए। ₹ 200 लाख के आबंटित बजट का उपयोग इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से किया जाएगा और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं बदला जाएगा।</td><td>अनुपालन किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>ix.</td><td>दिनांक 06.03.2014 के पत्र संख्या एनएच/पीडी/ एनवी .115/521 के अनुसार तथा ईएमपी में उल्लिखित रूपरेखा के अनुसार जैव विविधता संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन योजना को लागू किया जाएगा। राज्य वन विभाग के परामर्श से बिना किसी फंड के डायवर्जन के इन</td><td>अनुमोदित ईएमपी के अनुसार, जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन योजना के लिए निर्धारित कुल लागत ₹ 17.85 करोड़ है, जिसमें से राज्य वन विभाग ने वन्यजीव प्रबंधन योजना (जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन योजना का हिस्सा) के लिए ₹ 11.21 करोड़, मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य में और</td></tr>
</table>

	योजनाओं को लागू किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए आवंटित ₹ 1785.10 लाख का बजट पूरी तरह से इन योजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट नहीं किया जाएगा। कार्यान्वयन की रिपोर्ट को मंत्रालय को उसके क्षेत्रीय कार्यालय सहित प्रस्तुत की जाने वाली छमाही प्रगति और अनुपालन रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।	इसके आसपास क्षेत्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना के लिए ₹ 1.52 करोड़ और पक्षी-पक्षियों के लिए वैकल्पिक आवास/घर के लिए ₹ 0.59 करोड़ आवंटित किए गए हैं। एनएचपीसी द्वारा उपर्युक्त धनराशि पहले ही राज्य कैम्पा में जमा कर दी गई है। परियोजना द्वारा पत्र संख्या एनएच/डीएमपी/एचओपी/2024/1006, दिनांक 05.02.2024 के माध्यम से पीसीसीएफ और मुख्य सचिव (ईएंडएफ) से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित डीएफओ यानी डीएफओ मेहाओ डब्ल्यूएलएस, डीएफओ, दिबांग वन विभाग और डीएफओ, अनिनी वन विभाग को तदनुसार आवश्यक योजनाओं के कार्यान्वयन को आरंभ करने का निर्देश दें। इसके अलावा यह अनुरोध किया गया है कि अनुमोदित जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन योजना (उपर्युक्त तीन घटकों को छोड़कर) के अनुसार शेष कार्य, जिसकी राशि 4.53 करोड़ रुपये है, को भी संबंधित डीएफओ के माध्यम से शुरू कराया जाए।
x	उच्च ध्वनि स्तर उत्पन्न करने वाले उपकरणों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) 1986 के अंतर्गत 2010 में संशोधित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत अधिसूचित परिवेशी ध्वनि मानकों को पूरा करना होगा, इसके लिए आवश्यक इन्सुलेशन व्यवस्था आदि सुनिश्चित की जानी चाहिए।	निर्माण स्थलों पर ठेकेदारों के माध्यम से इसका अनुपालन किया जा रहा है।
xi	ईएमपी में प्रस्तावित मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन योजना को मत्स्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर पूरी तरह से लागू किया जाएगा। आशुपानी में गर्म पानी की मछलियों और एटालिन में ठंडे पानी की मछलियों के लिए मछली पालन केंद्र का विकास राज्य मत्स्य विभाग की मदद से किया जाएगा। मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन योजना के लिए प्रदान किए गए ₹ 648.24 लाख के बजट का पूरी तरह से इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट नहीं किया जाना चाहिए।	अनुपालन किया जाएगा।
xii	पर्यावरणीय मंजूरी के लिए वन एवं वन्य जीव दृष्टिकोण से पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है, जिसमें यदि आवश्यक हो तो एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति से मंजूरी भी शामिल है।	आवश्यक वन मंजूरी (चरण- I और चरण- II) पहले ही क्रमशः दिनांक 15.04.2015 और 12.03.2020 के पत्रों के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

<table>
<tr><td></td><td></td><td>परियोजना किसी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।</td></tr>
<tr><td>xiii</td><td>पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने का यह अर्थ नहीं है कि परियोजना को वन मंजूरी स्वतः ही प्रदान कर दी जाएगी, क्योंकि वन मंजूरी पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा तथा तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।</td><td>आवश्यक वन मंजूरी (चरण-I और चरण-II) पहले ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अलग-अलग प्रदान कर दी गई है।</td></tr>
<tr><td>xiv</td><td>यदि परियोजना में कोई निवेश किया जाता है, तो वन और वन्यजीव कोण से मंजूरी की प्रत्याशा में, इस प्रकार दी गई पर्यावरणीय मंजूरी के आधार पर, पूरी तरह से परियोजना प्रस्तावक की लागत और जोखिम पर होगा, जिसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसी भी मामले में जिम्मेदार नहीं होगा।</td><td>आवश्यक वन मंजूरी (चरण-I और चरण-II) पहले ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अलग-अलग प्रदान कर दी गई है।परियोजना किसी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।</td></tr>
<tr><td>xv</td><td>किसी भी अन्य संगठन/विभाग से अपेक्षित कोई भी अन्य मंजूरी, कार्य शुरू करने तथा परियोजना चालू करने से पहले, प्राप्त की जानी चाहिए।</td><td>स्थापना हेतु सहमति अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या एपीएसपीसीबी-90/2023/डीएमपी/947-52, दिनांक 14.05.2025 के माध्यम से प्राप्त कर ली गई है।</td></tr>
<tr><td colspan="3">भाग-(ब): सामान्य शर्तें</td></tr>
<tr><td>i</td><td>निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के उपभोग के लिए परियोजना लागत पर केरोसिन/लकड़ी/एलपीजी जैसे निःशुल्क ईंधन उपलब्ध कराने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, ताकि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जा सके।</td><td>परियोजना के विभिन्न निर्माण कार्यों/गतिविधियों में लगे मजदूरों/कर्मचारियों को ठेकेदारों द्वारा पर्याप्त संख्या में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका सारांश निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>क्रम सं</th><th>महीने</th><th>एलपीजी सिलेंडरों की संख्या</th><th>कुल राशि (₹ में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अक्टूबर 2025</td><td>63</td><td>126127/-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>नवम्बर 2025</td><td>69</td><td>137908/-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>दिसंबर 2025</td><td>91</td><td>182308/-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>जनवरी 2026</td><td>96</td><td>192624/-</td></tr>
<tr><td>5</td><td>फरवरी 2026</td><td>102</td><td>205868/-</td></tr>
<tr><td>6</td><td>मार्च 2026</td><td>93</td><td>214436/-</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>514</td><td>1059271/-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ii</td><td>श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ मनोरंजन</td><td>ठेकेदारों ने मजदूरों/कर्मचारियों को चिकित्सा</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।</td><td>सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। मजदूरों/कर्मचारियों के प्रारंभिक उपचार के लिए निर्माण स्थल पर एम्बुलेंस सुविधाओं के साथ-साथ एक अच्छी तरह से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा कक्ष प्रदान किया गया है। इसके अलावा, गंभीर चोट के लिए, ठेकेदार मजदूरों/कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाली सभी सुविधाओं से सुसज्जित अस्पतालों के साथ गठजोड़ करते हैं।

अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान मेसर्स एलएंडटी लिमिटेड द्वारा जांचे गए मजदूरों/कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>महीने</th><th>मजदूरों की संख्या जांच की</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अक्टूबर 2025</td><td>506</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2</td><td>नवम्बर 2025</td><td>481</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>3</td><td>दिसंबर 2025</td><td>599</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>4</td><td>जनवरी 2026</td><td>924</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>5</td><td>फरवरी 2026</td><td>489</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>6</td><td>मार्च 2026</td><td>405</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>3404</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>iii.</td><td>निर्माण कार्यों में लगाए जाने वाले श्रमिकों की स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पूरी तरह जांच की जाएगी तथा उन्हें वर्क परमिट जारी करने से पहले पर्याप्त उपचार दिया जाएगा। निर्माण अवधि के दौरान समय-समय पर स्वास्थ्य जांच भी की जा सकती है।</td><td>श्रमिकों/कर्मचारियों की स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा उचित जांच की जा रही है तथा उन्हें कार्य परमिट जारी करने से पहले पर्याप्त उपचार दिया जा रहा है। समय-समय पर स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>iv</td><td>उड़ते हुए उत्सर्जन/धूल को दबाने के लिए जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।</td><td>निर्माण गतिविधियों के अनिवार्य भाग के रूप में धूल/उत्सर्जन को रोकने के लिए जल छिड़काव किया जाता है। परियोजना के निर्माण स्थलों पर नियमित आधार पर जल छिड़काव किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>v</td><td>श्रमिकों के लिए पीने योग्य पानी और उचित स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही ठोस कचरे के</td><td>विभिन्न निर्माण गतिविधियों में लगे मजदूरों/कर्मचारियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध</td></tr>
</table>

	निपटान की उचित सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी।	कराने के लिए ठेकेदारों द्वारा उचित व्यवस्था की गई है। श्रमिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आरओ सिस्टम भी लगाया गया है। श्रमिकों/कर्मचारियों को उचित स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में अस्थायी शौचालयों का निर्माण किया गया है तथा ठेकेदारों द्वारा कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है।
vi	उत्खनित सामग्रियों के डंपिंग स्थलों सहित निर्माण क्षेत्र का जीर्णोद्धार, गड्ढों को समतल करके, भू-दृश्यांकन आदि करके सुनिश्चित किया जाएगा। क्षेत्र में उचित वृक्षारोपण करके उचित उपचार किया जाना चाहिए।	उचित स्तर पर इसका अनुपालन किया जाएगा।
vii	पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी की जाएगी और छमाही निगरानी रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को, इसके क्षेत्रीय कार्यालय सहित, समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएगी।	मेसर्स एलएंडटी ने विभिन्न निर्माण स्थलों और स्थानों पर जल और वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशाला, मेसर्स एनवायरोकोन, तिनसुकिया, असम की सेवाएं ली हैं।
viii	श्रमिकों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करानी होगी।	ठेकेदार द्वारा ठोस अपशिष्ट का संग्रह और पृथक्करण अलग-अलग रंग-कोडित कूड़ेदानों में किया जा रहा है और निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के मानदंडों के अनुसार किया गया है। साइट और श्रमिक शिविरों में मजदूरों/कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में अस्थायी शौचालयों का निर्माण किया गया है।
ix	जिला प्राधिकारियों के परामर्श से आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी तथा पूर्व चेतावनी टेलीमेट्रिक प्रणाली स्थापित की जाएगी।	संबंधित जिला प्राधिकारियों के परामर्श से विस्तृत आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। प्रारंभिक चेतावनी (टेलीमेट्रिक) प्रणाली की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
x	जैसा कि ईएमपी में प्रस्तावित है, पर्याप्त मेन पावर के साथ परियोजना स्तर पर एक पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ (ईएमसी) स्थापित किया जाएगा। ईएमसी का प्रमुख, ईएमपी और संबंधित मुद्दों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए सीधे परियोजना प्रमुख को रिपोर्ट करेगा।	परियोजना में एक अलग पर्यावरण विभाग है जिसके अधिकारी विशेष रूप से पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए काम करते हैं। पर्यावरण विभाग का प्रमुख, पर्यावरण संबंधी मामलों और उनके अनुपालन के संबंध में सीधे परियोजना प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं।

****